न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 09 / 2016 तारीख रजू 08.03.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

रामहरि माली पुत्र सीताराम माली निवासी मैसर्स– पाण्डव ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड, खण्डार थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 20/10/17

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री उपेन्द्र मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.05.2015 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स पाण्डव ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड, खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहॉ पर रामहरि माली पुत्र सीताराम माली (मौके पर विक्रेता) निवासी मैसर्स– पाण्डव ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड, खण्डार जिला सवाई माधोपुर उपस्थित थे। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ पाइनेपल का ज्यूस लगभग 10 लीटर एक डी फ्रिजर में स्टील के बर्तन में दुकान में रखा हुआ था, के मानक स्तर का नहीं होनें का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं होना बताया बाद में पेश करने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ पाइनेपल का ज्यूस 04 लीटर वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 320/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ पाइनेपल का ज्यूस 04 लीटर को 04 कॉच के जारो में बराबर–बराबर डाल कर [illegible] में फार्मेलीन की 80–80 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये [illegible] पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं [illegible] नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी [illegible] पेपर स्लिप [illegible]च–630 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर [illegible] नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 16:31:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गवाह एवं विक्रेता नरेन्द्र साहू पुत्र बाबूलाल साहू ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहन कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक ओ.पी. पूर्विया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/1793 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एफएसएसएल/कोटा/472 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड (Total Sugar as Sucrose 6.0%)** पाया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ **पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड (Total Sugar as Sucrose 6.0%)** का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ **पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड (Total Sugar as Sucrose 6.0%)** का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से **पाईनेपल का ज्यूस** का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब [illegible] **सबस्टेण्डर्ड (Total Sugar as Sucrose 6.0%)** प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी [illegible] के कारण अज्ञानतावश उक्त अपराध हुआ है। भविष्य में दोबारा उक्त गलती को [illegible] दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एफएसएसएल/कोटा/2015/472 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड (Total Sugar as Sucrose 6.0%)** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु पाईनेपल का ज्यूस** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:58 IST
Reason: SelfAttested